

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
पटना

पटना, दिनांक

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत पूर्णियाँ जिला के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की राशि के विमुक्ति की प्रत्याशा में द्वितीय किस्त की राशि कुल ₹ 45.79 लाख रुपये (पैंतालीस लाख उनासी हजार रुपये) मात्र की निकासी तथा व्यय की स्वीकृति एवं आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या- 3/5(3)/2008 पीपी-1 दिनांक 30.03.2012 के आलोक में पूर्णियाँ जिला के उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की राशि के विमुक्ति के प्रत्याशा में योजना के कार्य में प्रगति लाने के उद्देश्य से द्वितीय किस्त की राशि कुल ₹ 45.79 लाख रुपये (पैंतालीस लाख उनासी हजार रुपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा आवंटन निम्नवत् स्तंभ 9 के अनुरूप प्रदान किया जाता है-

(राशि लाख रुपये में)

क्रमांक	जिला का नाम	परियोजना का नाम	इकाई की संख्या	इकाई लागत	भारत सरकार से स्वीकृत कुल राशि	केन्द्रांश की राशि	राज्यांश की राशि	द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि के व्यय की स्वीकृति एवं आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पूर्णियाँ	Upgradation of Polytechnic College, Purnia	01	91.58	91.58	91.58	-	45.79
	कुल				91.58	91.58	-	45.79

2. उपर्युक्त स्वीकृत एवं पुर्न आवंटित राशि की निकासी मुख्यशीर्ष 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 051- निर्माण, मांग संख्या 30, उपशीर्ष 0207- अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- P- 4250000510207, विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपबंधित राशि से केन्द्रांश मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि विकलनीय होगा ।

3. विमुक्त राशि की निकासी जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा जिला कोषागार, पूर्णियाँ से चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायेगी जिसके लिए अलग से आवंटन आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

4. यह योजना चालू योजना की श्रेणी में है तथा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रांश का बजट उपबंध एवं योजना उद्व्य प्राप्त है ।

5. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

6. इस योजना अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 4989 वि० (2) दिनांक 16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में आपेक्षित होगा ।

7. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

पटना, दिनांक

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

स्पीड पोस्ट

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्पीड पोस्ट

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :- अवर सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 99

प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए ।

सरकार के प्रधान सचिव